

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला लखनऊ
सहसिल सरोजनीनगर
आवेदन क्र० 221570030141620
प्रमाणपत्र क्र० 275223012454

जारी दिनांक: 22/09/2022

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

सौरब बेरा/SOWRAV BERA

निखिल चन्द्र बेरा

रिंता बेरा

एल एस-1286 कानपुर रोड विद्यावती

आशियाना सेक्टर-एच एल डी ए कालोनी

सरोजनीनगर

लखनऊ



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सौरब बेरा/SOWRAV BERA पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जिसमें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इसमें अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: मयंक तिवारी, सहज जन सेवा केंद्र MINAKSHI

पद: मयंक तिवारी, केन्द्र प्रभारी

स्थान: LUCKNOW, सदर, अन्य

(Other), सरोजनीनगर, सदर

दिनांक: 23/09/2022

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहलू आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Digitally Signed by
MINAKSHI DWIVEDI
On Personal, Self-ITAR
PRADESH

DWIVEDI

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

सरोजनीनगर, लखनऊ

दिनांक: 22/09/2022